

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 466
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचना

466. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रत्येक राज्य में स्थापित कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचनाओं की संख्या तथा उनके रखरखाव पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस पहल के अंतर्गत कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण हेतु जुटाई गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) प्रत्येक राज्य में वर्षा जल संचयन संरचनाओं की मौजूदा संख्या कितनी है तथा इस पहल में भाग लेने के लिए सहयोग करने हेतु सहमत परिवारों की संख्या कितनी है; और
- (घ) कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचना के कार्यान्वयन के बाद भूजल स्तर पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव क्या हैं और इस पहल के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय है और केंद्र सरकार कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय वार्षिक आधार पर जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) को कार्यान्वित कर रहा है और जेएसए: सीटीआर 2024 जेएसए: सीटीआर का कार्यान्वयन इसकी श्रृंखला का पांचवां संस्करण है। अभियान के पांच केंद्रित कार्यकलाप हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण शामिल हैं जिसके तहत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण/पुनर्निर्माण किया जाता है। इन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं में चेक डैम, तालाब/टैंक, खाई, छत संचयन संरचनाएं, अन्य वर्षा जल पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाएं, पारंपरिक जलाशयों का जीर्णोद्धार, सोख गड्ढे, स्थिरीकरण तालाब, अन्य पुनः उपयोग/रिचार्ज संरचनाएं, गली प्लग, रिसाव टैंक, कंपित

खाइयां आदि शामिल हैं। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन; पारंपरिक और अन्य जलाशयों/टैंकों का नवीनीकरण; पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं और वाटरशेड विकास के तहत वर्ष 2021 से 2024 के दौरान स्थापित इन संरचनाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है। जहां तक इन संरचनाओं के रखरखाव के लिए किए गए व्यय का संबंध है, चूंकि रखरखाव एक सतत और नियमित प्रक्रिया है, राज्य इन संरचनाओं के रखरखाव के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करते हैं। जेएसए: सीटीआर विभिन्न केंद्रीय, राज्य सरकार की योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), अटल नवीकरण तथा शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएमपीए), 15 वें वित्त आयोग अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि से धन का उपयोग करके अभिसरण वित्तपोषण के आधार पर काम करता है।

(ख): जेएसए: सीटीआर अभियान अपने कार्यान्वयन में सीएसआर फंड सहित अभिसरण वित्तपोषण का उपयोग करता है। इस दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए, जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में माननीय प्रधान मंत्री की आभासी उपस्थिति में शुरू की गई थी। जेएसजेबी का लक्ष्य वैज्ञानिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों के संयोजन का उपयोग करके शहरी और ग्रामीण भारत में दस लाख कम लागत वाली पुनर्भरण संरचनाएं निर्मित करना है। यह पहल स्थानीय समुदायों, उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों को शामिल करके सक्रिय भागीदारी और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देती है। यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल है, जो न केवल सरकारी योजनाओं से बल्कि लोगों की भागीदारी, स्वामित्व और स्थिरता के लिए उद्योग - सीएसआर, परोपकार, व्यक्तिगत दाताओं, क्राउडफंडिंग आदि जैसे निजी वित्त जुटाने से भी धन प्राप्त करता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) जल संचय जन भागीदारी पहल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें कई हितधारक जल संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों के साथ-साथ परोपकारी लोगों और कॉर्पोरेट संस्थाओं ने जल सुरक्षा का समाधान करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए इस पहल को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। इस पहल की सफलता से प्रेरित होकर, राजस्थान सरकार ने "कर्मभूमि से मातृभूमि" योजना शुरू की है, जो लोगों को अपने मूल क्षेत्रों में जल संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(ग): जल राज्य का विषय है, और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए स्वतंत्र रूप से धन मुहैया कराता है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के तहत, अभिसरण कार्रवाई के माध्यम से पूरे देश में

वर्षा जल संचयन संरचनाएं विकसित की गई हैं। वर्ष 2021 से जेएसए: सीटीआर के तहत बनाई गई इन संरचनाओं का राज्यवार विवरण पहले से ही अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपाय अपनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जैसे दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 तथा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014, जिसमें व्यक्तिगत घरों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रभावी जल संरक्षण तरीकों को बढ़ावा देने हेतु इन दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय उन घरों की संख्या नहीं रखता है जिन्होंने इस पहल में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की है। हालांकि, जेएसजेबी पहल, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), निजी घरों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी उद्योगों, सरकार, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक संस्थाओं आदि को इस पहल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(घ): क्षेत्रों में जल संरक्षण पहलों को लागू करना कई चुनौतियां पेश करता है। प्राथमिक चिंताओं में से एक स्रोत जल की उपलब्धता और गुणवत्ता है, जो सीधे कृत्रिम पुनर्भरण की व्यवहार्यता को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम पुनर्भरण (एआर) और जल संरक्षण (डब्ल्यूसी) संरचनाओं का निर्माण अत्यधिक स्थल-विशिष्ट है, जिसके लिए क्षेत्र की व्यवहार्यता और अंतर्निहित जलभृतों की भंडारण क्षमता का सावधानी पूर्वक आकलन करने की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई प्रमुख पहल की हैं। लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाली राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना के परिणामस्वरूप जलभृत मानचित्र और भूजल प्रबंधन योजनाओं का विकसित की गई है। राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई इन योजनाओं में जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए मांग-आधारित और आपूर्ति-आधारित दोनों उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर प्लान-2020 तैयार किया है, जो अनुमानित लागत सहित देश के विभिन्न इलाकों की स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करने वाली एक वृहद स्तर की योजना है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संबंधित राज्य सरकार के संबंधित लाइन विभाग द्वारा किसी अन्य जलापूर्ति परियोजना या शहर विकास परियोजना की तरह कार्यान्वयन योग्य स्तर पर तैयार की जाती

है। मौजूदा योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के पास है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है और राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रत्येक राज्य के एक जिले में इसे लागू किया गया है। मार्गदर्शन के लिए एनडब्ल्यूएम के सहयोग से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तकनीकी सलाह और सरल अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) विकसित किए गए हैं और सभी हितधारकों द्वारा समुदाय में व्यापक रूप से प्रसारित किए गए हैं और यह जेएसएः सीटीआर पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

राज्य सरकारों के सहयोग से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए गए भूजल संसाधन मूल्यांकन से पता चलता है कि सतत संरक्षण प्रयासों के कारण भूजल पुनर्भरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से पुनर्भरण वर्ष 2017 में 13.98 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) से बढ़कर 2024 में 25.34 बीसीएम हो गया, जो जल संरक्षण की सफलता को दर्शाता है। वर्ष 2022 में 23.47 बीसीएम, 2023 में 24.99 बीसीएम और 2024 में 25.34 बीसीएम के शिखर के साथ एक स्थिर आरोही प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। जहां ये लाभ राज्य और केंद्र सरकारों दोनों द्वारा प्रभावी उपायों को उजागर करते हैं, वहीं भूजल स्तर में सुधार कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसमें वर्षा और रणनीतिक जल प्रबंधन प्रथाएं शामिल हैं।

‘कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचना’ के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उतर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 466 भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 2021 से 2024 के दौरान स्थापित कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का राज्यवार विवरण: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर)

क्र. सं.	राज्य	जेएसए वर्ष	जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन	पारंपरिक जलाशयों का नवीनीकरण	पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं	वाटरशेड विकास	कुल जल संबंधी कार्य (वर्षवार)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2021	53	880	56	12	1001
		2022	122	38	113	41	314
		2023	68	42	188	115	413
		2024	81	29	198	56	364
2	आंध्र प्रदेश	2021	179098	32594	1999	42166	255857
		2022	105398	34828	872	35820	176918
		2023	104729	51440	13428	58131	227728
		2024	79695	41828	13902	47726	183151
3	अरुणाचल प्रदेश	2021	694	18	173	462	1347
		2022	1079	171	163	309	1722
		2023	932	123	320	531	1906
		2024	1752	146	300	810	3008
4	असम	2021	20380	22401	101	21265	64147
		2022	15273	2138	36	15905	33352
		2023	16836	1722	2133	17447	38138
		2024	24163	2437	3415	27525	57540
5	बिहार	2021	50101	9251	43953	28954	132259
		2022	51872	8565	11951	25515	97903
		2023	90464	11447	26028	43709	171648
		2024	99627	9439	32426	50506	191998
6	चंडीगढ़	2021	120	0	0	0	120
		2022	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
		2024	199	8	0	0	207
7	छत्तीसगढ़	2021	58228	15146	8269	42393	124036
		2022	64589	12994	18178	36669	132430
		2023	65180	16670	10701	39657	132208
		2024	79669	38018	19244	50521	187452
8	दादरा और नगर	2021	94	0	0	0	94

	हवेली तथा दमन और दीव	2022	24	1	0	0	25
		2023	115	1	0	0	116
		2024	16	0	1	3	20
9	दिल्ली	2021	52	34	0	0	86
		2022	1	1	0	0	2
		2023	58	1	0	0	59
		2024	2	0	0	0	2
10	गोवा	2021	9	17	19	44	89
		2022	59	79	20	51	209
		2023	15	59	9	19	102
		2024	51	123	49	71	294
11	गुजरात	2021	18655	11458	20162	33453	83728
		2022	22062	10114	26992	39934	99102
		2023	8585	8122	11502	40443	68652
		2024	20457	11771	42436	58632	133296
12	हरियाणा	2021	49771	9533	26312	7800	93416
		2022	11376	5479	11015	3419	31289
		2023	5525	4150	5111	5676	20462
		2024	4541	4652	4308	8294	21795
13	हिमाचल प्रदेश	2021	14011	2505	1046	39810	57372
		2022	13429	2454	1101	40287	57271
		2023	18806	1981	1229	45408	67424
		2024	21478	2020	1529	61502	86529
14	जम्मू और कश्मीर	2021	24596	5770	1882	47406	79654
		2022	15712	3392	117145	48650	184899
		2023	18074	3641	63172	68254	153141
		2024	32650	3464	15524	68619	120257
15	झारखंड	2021	64934	1120	30910	276758	373722
		2022	26536	1135	11019	134209	172899
		2023	2313	329	873	196	3711
		2024	30117	334	2680	170202	203333
16	कर्नाटक	2021	184651	22713	261330	225920	694614
		2022	130601	20289	184600	210779	546269
		2023	121275	20478	112191	236151	490095
		2024	131159	24095	82152	225505	462911
17	केरल	2021	44219	14921	36293	114631	210064
		2022	28066	13237	28407	92946	162656
		2023	39411	22604	50404	138275	250694
		2024	34659	17903	44504	133381	230447
18	लद्दाख	2021	1230	34	10	1301	2575
		2022	1354	52	13032	2151	16589

		2023	1432	80	13358	2341	17211
		2024	1649	55	1404	880	3988
19	लक्षद्वीप	2021	2	1	0	0	3
		2022	3	12	0	0	15
		2023	0	15	0	0	15
		2024	1	1	0	0	2
20	मध्य प्रदेश	2021	164941	7118	55776	170692	398527
		2022	256949	14626	33066	90399	395040
		2023	89359	10632	28457	87719	216167
		2024	97254	8143	19602	62983	187982
21	महाराष्ट्र	2021	7220	1796	25399	10907	45322
		2022	21390	5800	39279	11747	78216
		2023	18905	3960	31753	10131	64749
		2024	21216	3449	18775	10315	53755
22	मणिपुर	2021	6256	1703	42	1990	9991
		2022	712	216	20	362	1310
		2023	3312	1393	17	1633	6355
		2024	4804	1625	48	2108	8585
23	मेघालय	2021	3540	659	175	3689	8063
		2022	3374	408	134	2900	6816
		2023	4340	681	251	4128	9400
		2024	5690	658	279	5832	12459
24	मिजोरम	2021	6499	405	1025	3842	11771
		2022	5407	294	292	2431	8424
		2023	8162	243	436	3903	12744
		2024	7903	168	628	5504	14203
25	नगालैंड	2021	323	38	41	248	650
		2022	506	256	41	520	1323
		2023	785	254	82	1081	2202
		2024	242	94	31	626	993
26	ओडिशा	2021	76114	13571	12018	89543	191246
		2022	88375	18338	19769	103558	230040
		2023	78342	16494	13731	61291	169858
		2024	63394	11396	11728	50984	137502
27	पुदुचेरी	2021	6	461	0	2	469
		2022	5	603	0	6	614
		2023	265	874	0	14	1153
		2024	41	726	12	8	787
28	पंजाब	2021	1719	6613	1356	10611	20299
		2022	2357	6879	859	9820	19915
		2023	2396	7351	2072	13700	25519

		2024	2732	7943	1575	12759	25009
29	राजस्थान	2021	178187	19693	1702	74852	274434
		2022	76121	13642	7816	42664	140243
		2023	147566	15989	3635	24305	191495
		2024	144051	18725	2956	35224	200956
30	सिक्किम	2021	944	15	443	1886	3288
		2022	705	43	578	2059	3385
		2023	5763	30	454	1926	8173
		2024	462	12	566	2133	3173
31	तमिलनाडु	2021	208835	14935	204342	101805	529917
		2022	104126	13327	245488	71057	433998
		2023	111432	19813	184761	97762	413768
		2024	74992	5459	78434	126678	285563
32	तेलंगाना	2021	3689	4646	9498	6045	23878
		2022	13286	11254	56055	30465	111060
		2023	14665	13669	51047	27317	106698
		2024	14167	21030	25581	26080	86858
33	त्रिपुरा	2021	33331	995	1662	38551	74539
		2022	15604	634	1127	26287	43652
		2023	25703	740	2283	17544	46270
		2024	26355	413	2644	16401	45813
34	उत्तर प्रदेश	2021	86599	35944	44610	407109	574262
		2022	112283	53502	39264	494147	699196
		2023	101619	45078	49372	401270	597339
		2024	113349	41321	26964	515519	697153
35	उत्तराखंड	2021	17340	4623	2559	40895	65417
		2022	30559	5069	2734	44491	82853
		2023	134487	3334	1239	34262	173322
		2024	15730	3335	1482	38914	59461
36	पश्चिम बंगाल	2021	121236	55813	39433	73871	290353
		2022	22455	7912	1323	9108	40798
		2023	1438	346	19	272	2075
		2024	228	60	1	36	325
कुल योग			5266380	1149872	2840719	6848567	16105538

स्रोत: जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in)
